Violation of Agreement by the Indian Crafts Society, New Delhi

*406. SHRI KANWAR LAL GUPTA: Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) who are the office bearers of Indian Crafts Society who held exhibition at Windsor Place, New Delhi in 1975-76;

(b) what action has been taken against the Society for not paying licence fee and not furnishing the bank guarantee;

(c) what action has been taken by Government against the Society for violation of the agreement including non-furnishing the audited accounts;

(d) how much amount was collected and how much has been deposited in the P.M.'s fund; and

(e) who were the V.I.Ps. who recommended the allotment of the land to the Society?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDAR BAKHT): (a) The Society filed a list containing names of members of governing Council for 1973, with the Registrar of Societies, Delhi. List of Office-bearers for 1975-76 was not field. On the letterhead of the Society, on which it requested for allotment of land on the 16th October, 1975, the following officer-bearers were mentioned.

1. Smt. Kailash Kapoor—President.
2. Major Kapil Mohan—Vice-President.
3. Shri Radha Raman—Vice-President.
4. Shri H. N. Rathi—Secretary General.
5. Shri M. L. Goyal—Secretary.
6. Shri Sagar Suri—Secretary.
7. Shri Sudhir Sareen—Treasurer.

(b) and (c). Since the Society did not comply with the terms of allotment, the occupation of the site by the Society was unauthorised. Necessary action is being taken against the society.

(d) No amount has been deposited by the Society in P.M.'s Relief Fund. The amount collected by the Society is not known to Government.

(e) There is nothing on record to suggest anything in this direction.

SHRI KANWAR LAL GUPTA: If you see the list, Shri Radha Raman is the former CEC, Shri Kapil Mohan is the Director of the Maruti, Mr. Sagar Suri is the Director of Maruti. Mrs. Kailash Kapoor might have some relation with Mr. Yashpal Kapoor. I do not know.

It is a clear case of embezzlement and misappropriation of lakhs of rupees. May I know from the hon. Minister that it being a criminal case, does he propose to file a case with the police so that action may be taken against them? Secondly, I want to know why no action was taken by the Government when there was unauthorised occupation by the society.

SHRI SIKANDAR BAKHT: The Law Ministry has been consulted. They have, of course, declared that the possession of the Society was unauthorised. Necessary action is being taken in regard to the default of the Society.

SHRI KANWAR LAL GUPTA: My pointed question was whether he proposes to file a case with the police and what is the definite action that he proposes to take.

SHRI SIKANDAR BAKHT: I can tell him the definite action that we can take at the moment. According to the Act which governs the registration of Societies, no penal action

is possible. The land was given to the Society on a licence fee of Re. 1 per month which it did not deposit.

लेकिन जो रेट रेगुलर लिया जाता है एग्जिबिशन के लिये जब लैंड दी जाती है तो उसका किराया 1 रु० 88 पैसे पर स्क्वायर यार्ड प्रति महीने हैं जो उनसे रिकवर किया जायगा। उसके अलावा और भी कंडीशन्स उन्होंने पूरी नहीं की तो 5 रु० प्रति माह के हिसाब से उनसे रुपया वसूल करने की कार्यवाही की जायेगी। टोटल अमाउन्ट जो उनसे रिकवरेबिल है इन दोनों मदों में वह 2 लाख 69 हजार 184 रु० हैं।

श्री कंवर लाल गुप्त : मंत्री महोदय ने मेरे सवाल का जवाब अभी भी नहीं दिया।

मेरे ख्याल से उसमें कंडीशन यह भी थी कि जो रुपया आयेगा टिकटों के जरिये से वह पी० एम० फंड में जमा होगा। और आज तक यह नहीं आपको मालूम है कि कितना रुपया आया है, आपने नहीं बताया।

श्री सिकन्दर बख्त : मैंने बताया कि हमें नहीं मालूम।

श्री कंवर लाल गुप्त : आपने कहा कि आपको नहीं मालूम कि कितना रुपया आया। और उस नुमायश को खत्म हुए साल से भी ज्यादा हो गया होगा। तो मैं जानना चाहता हूं कि जो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ़ फंड का पैसा था उसको ऐग्रीमेंट के मुताबिक उन्होंने मिसऐप्रोप्रिएट किया, और जो अकाउन्ट देना था वह भी उन्होंने नहीं दिया। और इसके अलावा जो शर्तें थीं वह भी पूरी नहीं की। तो आपने ला मिनिस्ट्री से जो राय ली होगी वह तब ली होगी जब यह लोग प्रिवलेज्ड क्लास थे तो मैं जानना चाहता हूं मंत्री महोदय से कि आप ने यह जो कार्यवाही शुरू की है वह कौन सी तारीख से शुरू की ? क्या यह ठीक है कि यह सवाल जाने के बाद ही शुरू हुई, या आप के मंत्री पद सम्भालने से पहले कुछ कार्यवाही हुई थी ? और जो इस प्रकार से सोसायटियों को जमीन दी जाती है उसके क्या नियम हैं, और उन अफसरों के खिलाफ क्यों नहीं कार्यवाही हुई जिन्होंने बैंक गारन्टी न होते हुए भी उनको जमीन दे दी।

SHRI SIKANDAR BAKHT: There are so many questions which the hon. Member has put. I would like to answer one by one. Firstly, as to what were the conditions on which the land was given, there were a number of them.

मैजर कंडिशनस यह थी कि लाइसेंस फी 1 रु० महीने के हिसाब से होनी चाहिए। दूसरी मेजर कंडीशन वह थी कि वह अपनी बैंक गारन्टी देंगे जितना अमाउन्ट बनता है 5 रु० पर स्क्वायर यार्ड के हिसाब से टोटल अमाउन्ट का।

तीसरी शर्त यह है कि अपनी एग्जिबिशन खत्म होने के एक महीने के अन्दर अन्दर अकाउन्ट देंगे, वह रुपया प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में जायेगा।

वैसे छोटी-छोटी 9 कंडीशनज हैं। उनमें से उन्होंने किसी एक कंडीशन को भी पूरा नहीं किया। उनके खिलाफ कार्यवाही हर किस्म की शुरू की जा रही हैं।

यह भी मैं बता दूं कि यह तमाम लैंड 1974 में लैण्ड एण्ड डैवलपमैंट आफिसर ने डी० डी०ए०को केयर एण्ड मन्टेनेन्स के लिए दे दी थीं। इन्होंने 16 अक्तूबर, 1975 को एप्लाई किया कि यह लैंड एग्जिबिशन के लिये दे दी जाये। उनको किसी किस्म की कोई अथौरीटी डी० डी० ए० या एल० एण्ड डी० ओ० से नहीं दी गई। उन्होने जमीन पर कब्जा कर लिया, किन्तु एक चिट्ठी 11 नवम्बर, 1975 को मिनिस्ट्री की तरफ से डी० डी० ए० को गई कि इन-इन शर्तों के मातहत यह जमीन 20 अक्तूबर, 1975 से 15 जनवरी, 1976 तक इनको दे दी जाये, हमको एतराज नहीं है। एक तरह से पिछले कब्जे, के रैगुल-

राइजेशन के लिये थी। मगर यह ठीक है, कब्जा कर लेने के बाद यह हुआ। कब्जा उनका जारी रहा, और हम प्रेज्यूम करते हैं कि एग्जिबिशन इनकी 30 अप्रैल को खत्म हो गई, लेकिन एक्स्टेन्शन का लैटर 7 मई को दिया गया, जो कि रैंगुलराइजेशन थी।

यह जरूर अर्ज करूंगा कि जो मुख्तलिफ पहलू है कि कब्जा उन्होंने किया बगैर अथोराइजेशन के और पहले अफसरों पर क्या कार्यवाही की गई, तो उन सब पर अब गौर हो रहा है।

श्री कंवर लाल गुप्त : आपने कहा कि उन्होंने बगैर मर्जी के कब्जा कर लिया, तो मैं जानना चाहता हूं कि जिन अफसरों ने पहले कार्यवाही नहीं की, उनके खिलाफ अब आप कार्यवाही क्यों नहीं कर रहे? दूसरी बात यह है कि उनके खिलाफ कार्यवाही कौनसी तारीख से शुरू की गई, आपके मंत्री बनने से पहले से या आपके मंत्री बन जाने के बाद से?

श्री सिकन्दर बख्त : मैं यही कह सकता हूं कि कार्यवाही की जा रही है, तारीख तो याद नहीं है कि किस तारीख से शुरू हुई है।

AN HON. MEMBER: He is evading the question.

SHRI SIKANDAR BAKHT: No, I am not evading the question. In fact, I do not know the date.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: The hon. Minister has talked about Mrs. Kapoor. Would he kindly enlighten this House as to whether Mrs. Kapoor happens to be the wife of Shri Yash Pal Kapoor, a close and confidant of Mrs. Indira Gandhi the former Prime Minister of this country?

SHRI SIKANDAR BAKHT: I am trying to locate Mr. Yash Pal Kapoor and find out if she is his wife.

श्री उग्रसैन : मंत्री जी ने यह कहा है कि उन्हें यह मालूम नहीं है कि कितना रुपया उसमें से प्रधान मंत्री कोष में जमा होना चाहिए। मैं यह जानना चाहता हूं कि प्रदर्शनी से कुल कितना लाभ हुआ, जिसका कि कई जगह बंटवारा होना था? कुल कितनी रकम प्रदर्शनी से प्राप्त हुई?

श्री सिकन्दर बख्त : मैंने अर्ज किया कि मुझे मालूम नहीं है। लेकिन उस रकम की जानकारी करने के लिये सरकारी साधन काम में लाये जा रहे हैं।

श्री उग्रसैन : उनसे हिसाब मांगा है या नहीं?

श्री सिकन्दर बख्त : हिसाब मांगा गया है, लेकिन दिया नहीं है।

श्री उग्रसैन : हिसाब दिया नहीं, तो कार्यवाही क्यों नहीं की गई?

श्री सिकन्दर बख्त : कार्यवाही की जा रही है।

SHRI K. SURYANARAYANA: As far as grabbing of land is concerned, I want to know whether any officer concerned has raised any objection; if so, what is the reaction of the concerned Minister who was incharge of those days?

SHRI SIKANDAR BAKHT: It was very late in the day that the DDA on the 2nd January, 1976, wrote to the society that they had not fulfilled any condition of the allotment of land and that they should do now. Even then the society did not do anything.

श्री द्वारिका नाथ तिवारी : यह बड़े आश्चर्य और खेद की बात है कि भारत सरकार का मंत्री कहे कि बिना एलाटमेंट पाये हुए कोई सरकारी जमीन पर दखल कर लेता है और कई महीने तक उस पर

काबिज़ रहता है, और वह भी कोई अननोन प्लेस नहीं है, बल्कि यह घटना विंडसर प्लेस जैसी जगह पर हुई है, जहां मिनिस्टरों और अफ़सरों की बराबर नज़र रहती है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार की शक्ति झुग्गी-झोंपड़ी वालों के घर उजाड़ने तक ही सीमित रहती है, और क्या ऐसे लोगों पर भी उसकी नज़र जाती है या नहीं, जो ज़बर्दस्त समझे जाते हैं और बिना एलाटमेंट के ज़मीन पर कब्ज़ा कर लेते हैं। क्या उन को इस ज़मीन से हटाने की कोशिश की गई है या नहीं, यदि नहीं; तो क्यों नहीं?

श्री सिकन्दर बख्त : जहां तक सरकार का ताल्लुक है, यह तो एक बड़ा कान्टीन्यूअस प्रासेस है। अगर सदन मुझे हक़ दे, तो मैं कहूं कि आपका यह ख़ादिम, और यह सरकार, उस वक्त नहीं थे। पिछली सरकार की तरफ़ से जवाबदेही करना मेरे लिए मुश्किल है। मैंने आपके सामने फ़ैक्ट्स रख दिये हैं। जिन्होंने ग़लती की थी, अब उनके ख़िलाफ़ कार्यवाही की जायेगी।

SHRI SHAMBHU NATH CHATURVEDI: May I know, if the occupation was not authorised under rules, the society, would be deemed to be trespassers and prosecuted for criminal trespass?

SHRI SIKANDAR BAKHT: Now it is not possible to treat them as trespassers as a letter, though late, has already been issued regarding heir possession from 20th October to 30th April, 1976.

श्री रामनरेश कुशवाहा : मैं यह जानना चाहता हूं कि जो उदारता इस ज़मीन के बारे में बरती गई है—बिना एलाटमेंट के कब्ज़ा होने के बाद उसको रेगुलराइज़ कर दिया गया है और इस अनियमितता की जांच नहीं हुई है, क्या वही उदारता उन जगहों के सम्बन्ध में भी बरती जायेगी, जहां गरीबों ने कब्ज़ा कर रखा है, और क्या झुग्गी-झोंपड़ी वालों को भी नियमित कर दिया जायेगा।

SHRI SIKANDAR BAKHT: It does not flow from this Question.

श्री यज्ञदत्त शर्मा : इस सदन में लगभग अस्सी के करीब सदस्य ऐसे हैं, जिनके पास निवास नहीं है, क्योंकि उनके लिए निश्चित मकानों पर अनधिकृत कब्ज़ा है। क्या मंत्री महोदय उस अनधिकृत कब्ज़े को समाप्त करने और उन मकानों को ख़ाली कराने के बारे में दिलचस्पी लेंगे?

SHRI SIKANDAR BAKHT: It does not flow from this Question.

श्री यज्ञदत्त शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। सवाल की आत्मा है अनधिकृत कब्ज़ा और मेरा सवाल उसके अन्तर्गत आता है।

MR. DEPUTY-SPEAKER: It does not directly flow from this but the hon. Member's question has been taken note of.

Butter Oil from E.E.C./Western Countries

*407. DR. MURLI MANOHAR JOSHI: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that large consignments of butter oil had been received by the Indian Dairy Corporation as free gift from the European Economic Community or some Western countries;

(b) if so, the names of the countries and the quantities received from each country in 1975, 1976 and 1977 together with the terms on which this was received;